


फॉर्म अहकाम

शमशुदाय बचाम पांधुराम

नाम न्यायालय / सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आगम या कार्यवाही	आगम विवरण रूप से दावा 237 / 2024	विशेष विवरण
	02.12.2024	यह दावा वादी ने अन्तर्गत धारा 63,88,188 राजस्थान कृषककारी अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि. नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 20.12.2024 को पेश हो।	
		 सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण	
	20/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकूलाब द्वारा कन्डोलेंस, कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकती। पत्रावली दिनांक... 13/01/25 को पेश हो।	
	13/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकूलाब द्वारा कन्डोलेंस, कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकती। पत्रावली दिनांक... 11/2/25 को पेश हो।	
	11/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पत्रकारान्त उपस्थित। पत्रावली पूर्व अनुसार दिनांक... 11/3/25 को पेश हो।	
	4/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी अनुपस्थित। वादी स्वयं भी अनुपस्थित। त्यागपत्र समक्ष में वाद-कार शिवाजें लगवाई गई परन्तु ना तो वादी स्वयं उपस्थित हुए ना ही वादी की ओर	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
		<p>कोई आधिवक्ता उपस्थित हुए भवा वादी का वाद अफग दोजिरी यस्म पुत्री के कारिज लगभग पाठार्थी पत्रावली नम्बर से कर धेउर इजिन सुन्दर थे।</p>	